

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी— श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभिधान-2021 पंचायत धर सरणू चिमनजी

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पुरखाराम पुत्र लालाराम 2. वरजूदेवी
पत्नि लालाराम जाति जाट निवासी
पोटलियासर, सरणू तहसील एवं जिला
बाड़मेर।

1. मालाराम पुत्र फूसाराम 2. रायचन्द्रराम
पुत्र फूसाराम 3. उमाराम पुत्र फूसाराम 4.
वालाराम पुत्र लाभूराम 5. नानगराम पुत्र
लाभूराम 6. मेघाराम पुत्र लाभूराम 7.
रूखमों पत्नि लाभूराम 8. उम्मेदाराम पुत्र
चेतनराम 9. पाबूराम पुत्र चेतनराम 10.
अणदाराम पुत्र चेतनराम 11. खीयाराम पुत्र
चेतनराम 12. पेमाराम पुत्र मुकनाराम 13.
मलाराम पुत्र मुकनाराम जातियान जाट
निवासीयान पोटलियासर, सरणू तहसील व
जिला बाड़मेर 14. फूसाराम पुत्र केंसाराम
15. जेठाराम पुत्र केंसाराम जाति ब्राहमण
निवासी पोटलियासर, सरणू तहसील व
जिला बाड़मेर 16. पोककराम पुत्र खूमाराम
17. सोनाराम पुत्र खूमाराम 18. नंदराम
पुत्र नगाराम 19. मगाराम पुत्र नगाराम 20.
खेमाराम पुत्र मगाराम 21. केंसाराम पुत्र
मगाराम 22. भंवसाराम पुत्र मगाराम
जातियान जाट निवासीयान मूढणों की
ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या-58/2019 दिनांक-06.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पोटलियासर पटवार हलका सरणू चिमनजी तहसील व
जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 599/370 रकबा 07 बीघा, खसरा नम्बर
395/370 रकबा 34.05 बीघा एवं मौजा मूढणों की ढाणी पटवार हलका सरणू तहसील
व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 451/62 रकबा 29.09 बीघा के चारों तरफ
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को
जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी
निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की
जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित
की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 06/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6539-6542

प्रतिलिपि:- निर्माकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी पुरखाराम पुत्र लालाराम वगैराह जाति जाट निवासी पोटलियासर, सरणू तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मालाराम पुत्र फूसाराम वगैराह जाति जाट/ब्राहमण निवासी पोटलियासर, सरणू तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर